4. **पदोन्नति हेतु आधार का अवधारण:**— (1) चतुर्थ श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के उच्च वेतनमान में, चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी के उच्च वेतनमान में, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के उच्च वेतनमान में एवं द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति "वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता" के आधार पर की जाएगी.

(2) प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति "योग्यता-सह-वरिष्ठता" के आधार पर की जाएगी.

5. **पदोन्नति में आरक्षण:**—सभी श्रेणियों के पदों/सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोक सेवकों के लिये पदोन्नति में आरक्षण निम्नानुसार होगा:—

अनुसूचित जातियों के लिये (1)	अनुसूचित जनजातियों के लिए (2)
16 प्रतिशत	20 प्रतिशत

6. **वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति:**—(1) ऐसे मामलों में, जहां पदोन्नति वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी प्रवर्गों के लिए कोई विचारण क्षेत्र नहीं होगा.

(2) पदोन्नति के लिये केवल ऐसे लोक सेवकों के नामों पर विचार किया जायेगा, जिन्होंने भरती नियमों के अनुसार फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में विहित अर्हकारी सेवा पूरी कर ली हो. तथापि उन समस्त लोक सेवकों के नामों पर विचार किया जाना आवश्यक नहीं होगा, जिन्होंने विहित न्यूनतम सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, परन्तु केवल उतनी ही संख्या में लोक सेवकों के मामलों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या को भरने के लिये पर्याप्त होगी. इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रवर्ग के लिये अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नामों पर विचार किया जाएगा.

स्पष्टीकरण:—पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति:— संबंधित वर्ष की, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस केलेंडर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से गणना नहीं की जाएगी.

(3) वर्ष, अर्थात् 1 जनवरी से 31 दिसम्बर के दौरान पदोन्नति के लिए रिक्तियों की संख्या की गणना विद्यमान तथा सेवानिवृत्ति एवं उच्चतर संवर्गों/सेवा के भाग/पदों के उच्चतर वेतनमान में पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों को ध्यान में रखकर की जाएंगी. एक वर्ष से अधिक अवधि की प्रतिनियुक्ति से उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भी इसमें शामिल किया जायेगा. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोक सेवकों के लिये आरक्षित की जाने वाले रिक्तियों की संख्या की गणना उस रोस्टर के आधार पर की जायेगी, जिसे इन नियमों के नियम 9 के उपबंधों के अनुसार बनाए रखा जाना अपेक्षित है.

(4) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाएगी. यह सबसे पूर्व के वर्ष से प्रारंभ करते हुए आगे प्रत्येक वर्ष की रिक्तियों के संदर्भ में पृथक् से पदोन्नति के लिये लोक सेवकों की उपयुक्तता पर विचार करेगी. विभागीय पदोन्नति समिति पृथक् से पूर्व के वर्ष या वर्षों की बिना भरी रिक्तियों को भरने के लिए पदोन्नति हेतु लोक सेवकों की उपयुक्तता पर विचार करेगी और संबंधित वर्ष के लिये तद्नुसार चयन सूची तैयार करेगी. तत्पश्चात् विभागीय पदोन्नति समिति, चालू वर्ष की विद्यमान एवं प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पदोन्नति हेतु लोक सेवकों की उपयुक्तता पर विचार करेगी.

(5) विभागीय पदोन्नति समिति, लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए उनके सेवा अभिलेख के आधार पर एवं पूर्ववर्ती 5 वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के विशेष संदर्भ में उनकी उपयुक्तता का निर्धारण करेगी. तथापि, उन मामलों में, जहां अपेक्षित अर्हकारी सेवा 5 वर्ष से अधिक है, विभागीय पदोन्नति समिति, अपेक्षित अर्हकारी सेवा के बराबर वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के विशेष संदर्भ में अभिलेख देखेगी.

(6) जब संबंधित अवधि के एक अथवा एक से अधिक वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन किसी कारण से उपलब्ध नहीं हों तो विभागीय पदोन्नति समिति, विचाराधीन अवधि के पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों पर विचार करेगी.